महिला थाना व पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के अथक प्रयास से चार दंपत्ति साथ रहने को हुए राजी

श्रावस्ती 29 अगस्त (मि0टा0सं0)। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के कुशल निर्देशन में पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में परिवारिक विवादों की प्राप्त शिकायतों की सुनवाई की गई। जिसमें आपसी वैचारिक मतभेद की वजह से परिवार टूटने के कगार पर था, परन्तु परिवार परामर्श केंद्र के अधिकारी/कर्मचारीगण व विभिन्न क्षेत्र से नामित सदस्यों द्वारा दोनों पक्षों की बातो को विधिवत सुना गया तथा पति–पत्नी के मध्य आपसी मनमुटाव व कलह के कारणों को दूर किया गया। इस कार्यवाही से 4 परिवार को बिछड़ने से बचाया गया तथा हंसी–खुशी से विदा किया गया।

आपको बता दें कि पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में प्रत्येक शनिवार व महिला थाना में प्रतिदिन परिवारिक विवादों की प्राप्त शिकायतों को अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा बिछड़े परिवारों को पुनः जोड़ने का कार्य किया जाता है। बहुत सी ऐसी शिकायतें पर प्राप्त होती है, जो पति–पत्नी में घरेलू कलह, पति एवं अन्य ससुरालीजनों के विरूद्व दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि से संबन्धित होती हैं। परिवारों में दरारें न पड़े इसीलिए प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी अखिलेश पांडेय, थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती अर्चना सिंह खन्ना, उ0नि0 साबिर अली, मु0आ0 रामप्यारे यादव,महिला आरक्षी रिचा शुक्ला,म0आ0 अंजना,आरक्षी प्रदीप आदि अधि0/कर्मचारीगण के अथक प्रयास से 04 जोड़ें को आपसी सुलह समझौते के आधार पर समझौता कराकर घर भेज गया। महीनों से बिछड़े पति–पत्नी एक–दूसरे को मिष्ठान खिलाकर, साथ खुश नजर आए। जिन पति– पत्नी की विदाई करायी गयी, उनका समयदृसमय पर कुशल क्षेम जरिए दूरभाष पूछा जायेगा , जिससे सुलह की स्थिति से अवगत करा सकें।

शस्त्र अधिनियम में आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि व 500– रू0 का अर्थदण्ड

श्रावस्ती 29 अगस्त (मि0टा0सं0)। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई पैरवी के फलस्वरूप 29.08.2024 को न्यायालय एसीजेएम एफटीसी जनपद श्रावस्ती ने थाना इकौना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1456/2010 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम सत्यराम पुत्र राममिलन उर्फ बल्ले निवासी मोहम्मदपुर दा0 चन्द्रवा थाना पयागपुर जनपद बहराइच थाना इकौना जनपद श्रावस्ती के पास से 01 चाकू बरामद होने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि व 5,00 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

गुण्डा अधिनियम में आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि व 6,00 रू0 का अर्थदण्ड

श्रावस्ती 29 अगस्त (मि0टा0सं0)। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई पैरवी के फलस्वरूप दि0 23.08.2024 को न्यायालय एसीजेएम एफटीसी जनपद श्रावस्ती ने थाना इकौना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36–37/1999 धारा 188 भादवि व 10,11 गुण्डा अधिनियम बनाम सहजराम पुत्र मूने धोबी निवासी जोकहा थाना इकौना जनपद श्रावस्ती द्वारा जिलाधिकारी के निर्देशों व जिलाबदर कार्यवाही का उल्लंघन करने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि(70 दिवस) व 6,00 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।